# कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो
## (जिला आपूर्ति शाखा)
## –: अल्पकालीन निविदा :–

बोकारो जिला अन्तर्गत **चास प्रखण्ड के लिए Door Step Delivery** के तहत् खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के विभिन्न योजनाओं पूर्वविक्कता (PHH/AAY) (खाद्यान्न) चावल, नमक, चीनी एवं आपूर्ति सम्बन्धी अन्य के अन्तर्गत खाद्यान्न को प्रखण्ड परिसर स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से प्रखण्ड के प्रत्येक जन वितरण प्रणाली दुकानों तक पहुँचाने हेतु परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता का चयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 शेष बचे महिनों एवं 2018–19 के लिए पर अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रित की जाती है।

स्वीकृत निविदा दाता को जिला निविदा समिति द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन करना होगा। दिनांक **19.11.2017** को **5.00** बजे अपराह्न तक जिला आपूर्ति कार्यालय, बोकारो में मुहर बन्द निविदा लिफाफा जमा करना होगा। दिनांक **20.11.2017** को 11.00 बजे पूर्वाह्न अधोहस्ताक्षरी के सभाकक्ष मे निविदा खोला जाएगा। निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अपेक्षित है। निविदादाता को तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रुप में दो मुहरबंद सील लिफाफों में अलग–अलग भर कर एक साथ एक मुहरबंद सील लिफाफा में जमा करना होगा। तकनिकी निविदा की शर्तो को पूरा करने पर ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा। खाद्यान्न का आवंटन सरकार से प्राप्त आवंटन के अनुसार किया जाता है। इसमें कमी या वृद्धि हो सकता है।

निविदादाता को 2,00,000.00 (दो लाख) रुपये का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के नाम से सुरक्षित जमा देना होगा। जिसकी निकासी बोकारो में किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत **आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र (ट्रॉसपोर्टिंग से संबंधित) एवं अद्यतन आयकर रिटर्न (वाणिज्य कर)** जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा, वित्तीय भाग नहीं खोला जाएगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को पूर्ण वर्ष कार्य करना अनिवार्य होगा। बीच में काम रोके जाने पर या काम छोड़ने पर उनके द्वारा सुरक्षित जमा राशि को पूर्ण रुप से जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही कार्यालय में लम्बित सभी प्रकार के विपत्र/राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा। निविदा से संबंधित शर्ते www.bokaro.nic.in पर प्राप्त की जा सकती है। विस्तृत जानकारी **(www.jharkhandtender.gov.in)** वेवसाईट/कार्यालय सूचना पट्ट में भी देखा जा सकता है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
बोकारो।

उपायुक्त,
बोकारो।

डोर स्टेप डिलेवरी अंतर्गत परिवहन अभिकर्त्ता का चयन हेतु निविदा की शर्ते निम्नवत है :-

1. जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उपावंटित खाद्यान्न झारखण्ड राज्य खाद्य निगम के प्रखंड स्तरीय गोदाम से उठाव कर संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकान तक पहुँचा कर आपूर्ति करना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2018-19 के लिए परिवहन व्यय राज्य सरकार के द्वारा अधिकतम 40.00 (चालीस) रुपये प्रति क्विटल की दर से निर्धारित है। परन्तु निविदा के माध्यम से दर निर्धारण करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
2. निविदादाता अपना नाम, पिता/पति का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता व्यवसाय, पूर्व अनुभव, शैक्षणिक योग्यता आदि का उल्लेख अपने आवेदन पत्र में करेगें। आवेदित प्रखण्ड स्पष्ट रुप में अंकित करेगें।
3. परिवहन व्यय का भुगतान राज्य सरकार से वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में इस मद में आवंटन उपलब्ध होने के पश्चात किया जायेगा। इस अवधि में कार्य प्रभावित होने पर निविदादाता की जमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा दुसरे निविदादाता के साथ सम्बद्ध कर दिया जायेगा।
4. निविदादाता को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवासी एवं चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता को आयकर, वाणिज्य कर क्लियरेंस संबंधी प्रमाण पत्र अद्यतन समर्पित करना होगा।
6. निविदादाता को स्वच्छ छवि का प्रमाण पत्र निविदा के साथ जमा करना होगा। वैसे निविदादाता को जिन्हें किसी सरकारी विभाग या प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया हो या जिसे किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया हो उन्हें परिवहन अभिकर्ता के रुप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
7. निविदा के साथ 2,00,000.00 (दो लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रुप में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के पदनाम से जो बोकारो में भुगतेय होगी, संलग्न करना आवश्यक है। निविदा समाप्ति के पश्चात स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर अन्य को अग्रधन वापस कर दिया जायेगा।
8. निविदादाता को प्रत्येक माह जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर खाद्यान्न की शत प्रतिशत मात्रा का परिवहन करना होगा।
9. निविदा टर्न की आधार पर हो अर्थात परिवहन पार गमन क्षति बीमा दर, आक्ट्राई सेवाकर अन्य कोई कर/शुल्क अन्यान्य व्यंय सहित होना चाहिए। निविदादाता से परिवहन के दौरान खाद्यान्न की क्षति की वसूली क्षति की मात्रा को बाजार दर पर तथा 20 प्रतिशत जुर्माना सहित उनके विपत्र से एकमुश्त किया जायेगा। उक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में एक बार दर निर्धारित हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में बढ़ोतरी संभव नहीं होगी।

10. स्वीकृत निविदादाता को जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करना होगा जो वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए वैद्य होगा। उन्हे अलग–अलग मो0 1,00,000.00 (एक लाख) रुपये का बैंक गारंटी / एन0एस0सी0 / टी0डी0 प्रतिभुति राशि के रुप में जिला आपूर्ति कार्यालय, बोकारो में जमा करना होगा।

11. फिनांसियल वीड एवं टेक्निकल वीड अलग–अलग लिफाफा में देना होगा। टेक्निकल वीड योग्य एवं सही पाये जाने पर ही फिनांसियल वीड वाले लिफाफा को खोला जायेगा। दोनों लिफाफा को एक अन्य सील बंद लिफाफा में देना होगा। जिस पर प्रखण्ड का नाम स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा।

12. मुहर बंद निविदा दिनांक **19.11.2017** को **5.00** बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जायेगा। दिनांक **20.11.2017** को 11.00 बजे पूर्वाह्न निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी के सभाकक्ष में निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा।

13. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

14. निविदा की शर्तो में परिवर्तन एवं उसे बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

15. निविदा दाता के पास कम से कम 2 (दो) निजी वाहन चार चक्का मालवाहक (पीक वेन, टैक्टर 407 आदि) एवं अतिरिक्त 4 (चार) मालवाहक वाहन का प्राधिकृत पत्र वाहन मालिक से तक वाहन डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य में प्रयोग करने का एकरारनामा की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा।

16. निविदा दाता के द्वारा अंकित दर विभाग द्वारा निर्धारित दर से 10 (दस) प्रतिशत से अधिक कम होने पर उनकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

17. निविदादाता को खाद्यान्न की लोडिंग एवं अनलोडिंग स्वयं करना होगा एवं इसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

18. निविदादाता को वाहन की सूची वाहन का पंजीयन नम्बर एवं प्रकार संबंधी विवरणी तथा वाहन का कागजात तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा।

19. स्वीकृत निविदादाता के डोर स्टेप हेतु समर्पित गाड़ी में GPS SYSTEM भविष्य में लगाया जा सकता है।

20. स्वीकृत निविदादाता द्वारा परिवहन किये गएं खाद्यान्न के विरुद्ध यदि किसी प्रकार की राशि वसूली की जाती है अथवा ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो परिवहन अभिकर्ता के विपत्र से राशि कटौती करने का तथा निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा तथा ऐसी परिस्थिती में L-2 निविदादाता को L-1 दर पर कार्य दे दिया जायेगा। निविदादाताओ का दर समान (Equal) होने पर अनुभवी निविदादात को प्राथमिकता दी जाएगी।

21. निविदादाता इस आशय का स्व धोषणा पत्र देगे कि वे जन वितरण प्रणाली विक्रेता का अनुज्ञप्तिधारी नहीं हो। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात भी सत्यतता की पता होने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

22. तकनिकी वीड के साथ सभी प्रकार के वांछित कागजात एवं अद्यतन बैंक ड्राफ्ट समर्पित करना होगा। फिनांनशियल वीड में साथ परिवहन दर समर्पित करना होगा।

23. स्वीकृत निविदादाता परिवहन कार्य को किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

24. चयनित परिवहन अभिकर्ता को लिखित स्वधोषणा पत्र देना होगा कि वे वाहन के दोनो तरफ (आगे पीछे को छोड़कर) पीले रंग के बैकगाउड में काले अक्षर से **"जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न का परिवहन"** की पैंटिग अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।

25. स्वीकृत निविदादाता को निविदा पत्र में उल्लेख किये गये वाहनो का उपयोग डोर स्टेप डिलेवरी कार्य में क्रमांक–24 में अंकित शर्तो के अनुरुप करना होगा। भविष्य में विशेष परिस्थिति में वाहनो की अतिरिक्त आवश्यकता होने पर अथवा वर्णित वाहनो के स्थान पर अन्य वाहनो के उपयोग हेतु कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा एवं नये वाहनो के उपयोग क्रमाक–24 में अंकित शर्तो के अनुरुप करना होगा।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
बोकारो।

उपायुक्त,
बोकारो।

ज्ञापांक : 1707 आ0, बोकारो, दिनांक 28/10/2017

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान प्रदाधिकारी, एन0आई0सी0, बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि एन0आई0सी0 के वेबसाईट में उपलोड करने की कृपा की जाय।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
बोकारो।

उपायुक्त
बोकारो।